बीईएल का कारोबारी उत्तरदायित्व कोड

1.0 मुख्य सिद्धांत

1.1 कंपनी ने सेबी के दिशा-निर्देशों में निर्धारित, निम्नलिखित नौ मुख्य सिद्धांतों को अपनाया है -

- सिद्धांत 1 - कारोबार में आचार सिद्धांत, पारदर्शिता और जवाबदेही स्वमेव व्यवहरित एवं नियंत्रित होनी चाहिए
- सिद्धांत 2 - कारोबार में ऐसे माल और सेवाएँ प्रदान की जानी चाहिए जो सुरक्षित हो और अपने पूरे जीवनकाल में निर्वहनीयता की ओर योगदान दे सके
- सिद्धांत 3 - कारोबार में सभी कर्मचारियों की कुशलता संवर्धित होनी चाहिए
- सिद्धांत 4 - कारोबार में सभी पणधारकों के हितों का सम्मान करना चाहिए और उनकी ओर पूरा ध्यान देना चाहिए, विशेषकर जो असुविधा, कमज़ोर और हाशिये की स्थिति में हैं
- सिद्धांत 5 - कारोबार में मानवाधिकारों का सम्मान एवं संवर्धन किया जाना चाहिए
- सिद्धांत 6 - कारोबार में पर्यावरण को संरक्षित करने का सम्मान, संरक्षण किया जाना चाहिए और इसके लिए प्रयास किए जाने चाहिए
- सिद्धांत 7 - कारोबार की प्रकृति जब सार्वजनिक एवं नियामक नीति को प्रभावित करने वाली हो, उसे ऐसा उत्तरदायी ढंग से करना चाहिए
- सिद्धांत 8 - कारोबार को समावेशी विकास और साम्यिक विकास का समर्थन करना चाहिए
- सिद्धांत 9 - कारोबार में उनके ग्राहकों और उपभोक्ताओं को उत्तरदायी ढंग से मूल्य प्रदान करना चाहिए और इसी कार्य में संलग्न होना चाहिए

2.0 नीतियाँ

2.1 आचार नीति, पारदर्शिता और जवाबदेही

2.1.1 कंपनी मूल्य आधारित अभिशासन एवं पद्धतियों पर विश्वास करती है । यह अपने कारोबारी कार्यकलापों के सभी क्षेत्रों में आचार नीति के उच्चतम मानक बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है । संगठन के भीतर आंतरिक रूप से और बाहरी संबंधों दोनों में नैतिक व्यवहार के अनुकरणीय मानक स्थापित करना निदेशक मंडल तथा वरिष्ठ प्रबंधन की जिम्मेदारी है । प्रबंधन इस नैतिक व्यवहार को संगठन में सभी स्तरों में डालने का निरंतर प्रयास करेगा ताकि यह बीईएल के सभी कर्मचारियों में कार्य संस्कृति का एक आवश्यक हिस्सा बन जाए । बीईएल का प्रत्येक कर्मचारी उच्च नैतिक तथा सदाचार के मानकों का पालन करते हुए कंपनी की ओर से पेशेवर तरीके से, ईमानदारी और सत्यनिष्ठा के साथ व्यवहार करेगा ।

2.1.2 सभी कारोबारी निर्णय एवं लेन-देन सही, पारदर्शी, प्रकटण योग्य और संबंधित पणधारकों के लिए गोचर होने चाहिए । बीईएल का विश्वास है कि पारदर्शिता का अर्थ कंपनी की नीतियों और कार्यों के बारे में उस लोगों को समझाना है जिनके प्रति इसके उत्तरदायित्व हैं । इसलिए, कंपनी के रणनीतिक हितों को जोखिम में न डालते हुए कंपनी अधिकतम समुचित प्रकटण सुनिश्चित करेगी । आंतरिक रूप से, पारदर्शिता का अर्थ कंपनी के कर्मचारियों के साथ उसके संबंधों में खुलापन रखना और कंपनी के कारोबार को इस ढंग से संचालित करना कि छानबीन का सामना कर पाये । कंपनी का विश्वास है कि पारदर्शिता जवाबदेही बढ़ाती है । यह जो भी करे, सार्वजनिक छानबीन की परीक्षा का सामना कर पाये ।

2.1.3 सशक्तीकरण कंपनी के अभिशासन के इस सिद्धांत का एक आवश्यक घटक है कि प्रबंधन में उद्यम को आगे बढ़ाने की स्वतंत्रता होनी चाहिए । सशक्तीकरण पूरे संगठन में संगठनात्मक पदानुक्रम में सर्वाधिक उपयुक्त स्तरों में सच्चे रूप से निर्णय लेने की शक्तियाँ प्रदान करते हुए सृजनात्मकता और नवाचार की पूरी स्वतंत्रता देती है । निदेशक मंडल शेयरधारकों और सरकार के प्रति उत्तरदायी होता है और प्रबंधन निदेशक मंडल के प्रति उत्तरदायी होता है । इसी प्रकार, प्रत्येक कार्यपालक और कर्मचारी उन्हें सौंपे गए कार्यों और दायित्वों के प्रति

जिम्मेदार होते हैं । बीईएल का विश्वास है कि उत्तरदायित्व से जुड़कर सशक्तीकरण, कार्य-निष्पादन और प्रभावी कार्पोरेट अभिशासन को बल प्रदान करता है ।

2.1.4 सभी स्तरों के कर्मचारी अपने कर्तव्यों और दायित्वों का निर्वाह करते समय राष्ट्रीय हित, सार्वजनिक हित और कंपनी के हित को अपने निजी हितों से ऊपर रखेंगे और हितों के स्पष्ट संघर्ष का निवारण करेंगे । हित-संघर्ष तब होता है जब उनका ऐसा निजी हित होता है जिसका कंपनी के हित से संभावित संघर्ष हो सकता है। हित-संघर्ष के व्याख्यात्मक मामले इस प्रकार हैं -

- संबंधित पक्षकार के लेन-देन - कंपनी या उसकी सहायक कंपनियों के साथ ऐसा कोई लेन-देन करना या संबंध स्थापित करना जिसमें उनका वित्तीय या अन्य निजी हित (प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, जैसे परिवार के सदस्य या संबंधी या अन्य व्यक्ति अथवा अन्य संगठन के माध्यम से, जिससे वे जुड़े हुए हैं) हो ।
- बाहरी निदेशक के रूप में - किसी अन्य कंपनी जो हमारी कंपनी के कारोबार के साथ प्रतिस्पर्धा करती है, के मंडल में निदेशक का पद स्वीकार करना ।
- परामर्शदात्री सेवाएँ / कारोबार / नियोजन - ऐसे किसी कार्य (चाहे वह परामर्शदात्री सेवाएँ प्रदान करने की प्रकृति का हो, कारोबार संचालित करना हो, नियोजन स्वीकार करना हो) में लगना जिससे कंपनी के प्रति उनके कर्तव्यों / दायित्वों के निर्वाह में हस्तक्षेप या संघर्ष होने की संभावना हो । उन्हें किसी भी पूर्तिकर्ता, सेवा प्रदाता या कंपनी के ग्राहक के साथ किसी भी रूप में निवेश या स्वयं को जोड़ना नहीं चाहिए ।
- निजी प्राप्तियों के लिए सरकारी ओहदे का प्रयोग करना - उन्हें निजी प्राप्तियों के लिए अपने सरकारी ओहदे का प्रयोग नहीं करना चाहिए ।

2.1.5 बीईएल के कर्मचारी अपने परिवार तथा अन्य संबंधों के माध्यम से, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, कंपनी के साथ शामिल लेन-देनों के कारण उत्पन्न कोई निजी शुल्क, कमीशन या अन्य प्रकार के पारिश्रमिक का निवेदन या स्वीकार नहीं करेंगे । इसमें उपहार अथवा उल्लेखनीय मूल्य के अन्य अनुलाभ जो संगठन के कारोबार को प्रभावित करने के लिए या किसी एजेन्सी आदि को ठेका प्रदान करने के लिए समय-समय पर दिए जा सकते हैं, शामिल होते हैं । बहरहाल, कंपनी और उसके कर्मचारी पूर्ण प्रकटण के साथ सामान्य मूल्य के उपहार स्वीकार कर सकते हैं और प्रदान कर सकते हैं बशर्ते कि ऐसे उपहार प्रथानुसार दिए जाते हैं तथा/या स्मारक प्रकृति के हैं ।

2.1.6 कंपनी देश के संविधान तथा अभिशासन संबंधी प्रणालियों के प्रति कटिबद्ध है और उनका समर्थन करती है । यह राजनीतिक संबंधों के लिए किसी विशेष राजनीतिक पार्टी या उम्मीदवार का समर्थन नहीं करेगी। कंपनी का आचार ऐसे किसी भी कार्यकलाप को निषिद्ध करेगा जिसे पारस्परिक निर्भरता / किसी राजनीतिक निकाय या व्यक्ति का पक्ष लेना माना जाता है और किसी भी राजनीतिक पार्टी, उम्मीदवार या अभियान के लिए कंपनी की निधियाँ या संपत्ति प्रस्तुत नहीं की जाएगी / दी नहीं जाएगी ।

2.2 माल एवं सेवाओं की संरक्षा और निर्वहनीयता

2.2.1. कंपनी सैन्य एवं पेशेवर इलेक्ट्रॉनिक उपस्करों एवं उत्पादों के अभिकल्प, विकास, अभियांत्रिकी, निर्माण और अनुरक्षण में लगी है । पर्यावरण एवं समाज पर सभी प्रचालनों के प्रभाव को इन प्रचालनों के लिए उत्तरदायी सभी अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा स्पष्ट रूप से समझा जाना चाहिए । कंपनी नीचे परिभाषित प्रक्रियाओं के माध्यम से अपने संरक्षा मानकों, निर्वहनीयता और पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली में निरंतर रूप से सुधार करने के लिए कटिबद्ध है -

2.2.1.1 वैद्युत ऊर्जा, रसायनों और प्राकृतिक संसाधनों के उपभोग को न्यूनतम करना ।

2.2.1.2 नवीकरण करने योग्य / पुन:पूर्ति योग्य / निर्वहनीय संसाधनों को प्रोत्साहित करना ।

2.2.1.3 पर्यावरणीय पहलुओं से संबंधित लागू विधिक अपेक्षाओं तथा अन्य अपेक्षाओं का पालन करना ।

2.2.1.4 पर्यावरण मैत्रीपूर्ण रसायनों का प्रयोग करते हुए तथा प्रक्रियाओं में हानिकारक पदार्थों में निरंतर कटौती करते हुए वायु, जल और भूमि के प्रदूषण की रोकथाम करना ।

2.2.1.5 अभिचिह्नित अपशिष्टों के सृजन में कटौती ।

2.2.1.6 इलेक्ट्रॉनिक उपस्करों / उत्पादों के अभिकल्प एवं निर्माण में पर्यावरण मैत्रीपूर्ण एवं हानिरहित पदार्थों, घटकों तथा प्रक्रियाओं का संवर्धन एवं अंगीकरण ।

2.2.1.7 ग्राहकों को उत्पादों को हैंडल करने और उत्पादों के उपयोगी जीवन चक्र के बाद उत्पादों या उनके किसी घटक जैसे बैटरी आदि के निपटारे के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करना ।

2.2.1.8 पर्यावरणीय उद्देश्यों एवं लक्ष्यों को निर्धारित करना, उनका अनुरक्षण और निगरानी करना ।

2.2.1.9 सभी कर्मचारियों, विक्रेताओं और ठेकेदारों के बीच पर्यावरणीय एवं संरक्षा संबंधी जागरूकता बढ़ाना ।

2.3. मानव संसाधन विकास एवं कर्मचारियों की खुशहाली

2.3.1 वर्तमान वैश्विक कारोबारी परिदृश्य ने नियंत्रण एवं दिशा की पूर्ववर्ती भूमिकाओं से उभरने के लिए मानव संसाधन प्रबंधन प्रकार्य को बदलकर *सर्वसम्मति और प्रतिबद्धता* कर दिया है । इसका अर्थ यह है कि मानव संसाधन प्रबंधन के प्रकार्य के नए एजेन्डे को चैम्पियन के रूप में निम्न के लिए उभरना है -

- वैश्विक कार्य-निष्पादन मानकों के अनुसार संगठनात्मक रूपांतरण
- लोगों को कारोबारी रणनीति के अनुरूप बनाना
- कर्मचारियों और संगठन के समग्र विकास के उद्देश्य के साथ संस्कृति निर्माण, मेन्टरिंग, मूल्य विकसित करना एवं सकारात्मक कार्य हेतु व्यक्तित्व विकास
- विश्व-स्तरीय मानव संसाधन संबंधी प्रक्रियाएँ प्रदान करना जो नेतृत्व क्षमता, संगठनात्मक कार्य-निष्पादन एवं रणनीतिक कर्मचारी सक्षमताएँ विकसित करे
- सभी स्तरों पर कर्मचारियों की खुशहाली सुनिश्चित करना

बीईएल की मानव संसाधन नीति एवं प्रक्रियाएँ (जिसे यहाँ इसके बाद संयुक्त रूप से "मा.सं." कहा गया है) जो मा.सं. के निम्नलिखित आयाम पूरा करेंगे -

2.3.2 एक रणनीतिक साझेदार के रूप में मा.सं.

रणनीतिक मा.सं. प्रबंधन कार्य-निष्पादन में सुधार करने के उद्देश्य से मा.सं. प्रकार्य को संगठन के रणनीतिक उद्देश्यों के साथ जोड़ने की पहली प्रक्रिया है । कंपनी की दृष्टि, ध्येय, रणनीतिक आवश्यकताएँ, पणधारकों के हित, कारोबारी उद्देश्य एवं प्रतिस्पर्धी माहौल को देखते हुए मा.सं. को एक कारोबारी साझेदार की भूमिका निभानी है ।

प्रौद्योगिकी तथा बाज़ार चलित कंपनी के रूप में बीईएल की रणनीतियाँ प्रौद्योगिकी, विपणन तथा अनुसंधान एवं विकास का प्रतिनिधित्व करने वाली विभिन्न वर्गों की टीमों द्वारा तैयार की जाती हैं और वे कंपनी द्वारा सामना की जा रही कारोबारी विषयों पर विचार-विमर्श करते हैं । मा.सं. इस प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका निभाता है । इससे अत्यंत आवश्यक बहु-परिप्रेक्ष्य अंतर्दृष्टि प्राप्त होती है ।

2.3.3 प्रतिभा को आकृष्ट करना और उसे बनाए रखना

प्रतिभा को आकृष्ट करने और उसे बनाए रखने में प्रतिस्पर्धी प्रतिपूरक पैकेज, कर्मचारी नियोजन, कैरियर विकास तथा सशक्तिकरण सहित अनेक आयाम शामिल हैं । मा.सं. कार्य स्व-ज्ञानार्जन संवर्धित करने के लिए आवश्यक माहौल प्रदान करेगा । मा.सं. अग्रणी संस्थानों में बीईएल के कर्मचारियों के लिए निर्धारित औपचारिक शिक्षा, कक्षाओं और ई-ज्ञानार्जन दोनों रूपों में, तथा व्यावहारिक पाठ्यक्रम को संवर्धित करेगा । व्यक्तियों द्वारा इन विभिन्न माध्यमों से इस प्रकार अर्जित ज्ञान कंपनी के कारोबारी लक्ष्यों के साथ मिलने के साथ-साथ अलग-अलग प्रक्षेत्र की विशेषज्ञताओं का समर्थन करेगा । तकनीकी एवं प्रबंधकीय प्रतिभा को फैलाने और बढ़ाने में कर्मचारियों की कोचिंग और मेन्टरिंग मदद करेगी । ये उपाय करने से बीईएल एक अग्रणी संगठन के रूप में प्रबलित होगी ।

ज्ञान प्रबंधन पर किए जाने वाले कंपनी-वार पहल प्रक्षेत्र विशेषज्ञता निर्मित करने में मदद करेंगे । इससे प्रभागीय सीमाओं से आगे बढ़ते हुए तथा आकस्मिक आवश्यकताओं पर निर्भर करते हुए कंपनी-वार क्षमताओं का प्रयोग करते हुए मा.सं. की क्षमताओं का समनुदोहन करना आसान बनेगा । सक्षमता माडलिंग किए गए और सक्षमता मॉडल के साथ मा.सं. प्रणालियों का एकीकरण कंपनी में मा.सं. की इस क्षमता का प्रभावी रूप से

इस्तेमाल करने में परिणामित हुआ । कर्मचारी तुष्टिकरण एवं नियोजन में सक्षमता-आधारित कार्य चक्रानुक्रम जोड़ा जाएगा ।

2.3.4 कार्य-निष्पादन प्रबंधन

बीईएल के कार्य-निष्पादन प्रबंधन प्रणाली का उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति की भूमिका स्पष्ट करना, उत्तरदायित्व तय करना और व्यक्तियों के कार्यों को संगठनात्मक उद्देश्यों के साथ संरेखित करना है । यद्यपि बीईएल की प्रणाली उद्देश्यात्मक रूप से कार्य-निष्पादन का मूल्यांकन करने के मौके प्रदान करती है, तथापि प्रक्रियाओं और उनके कार्यान्वयन को सच्चे अर्थों में सशक्त करने की भूमिका मा.सं. की है । वरिष्ठ प्रबंधन की सहभागिता के साथ लक्ष्य-क्रमिक कार्यशालाएँ आयोजित करना इस दिशा में एक प्रयास हो सकता है । कैरियर प्रगति और विकास को व्यवस्थित करने के लिए विकास संबंधी पहलों के साथ पीएमएस इसका अनुपूरण करेगा ।

2.3.5 नेतृत्व विकास एवं परिवर्तन प्रबंधन

किसी उद्यम का अंतिम प्रतिस्पर्धी फायदा उसकी यह क्षमता है कि वह अपने प्रतिस्पर्धी से अधिक तेज़ गति से नेतृत्वकर्ताओं को आगे बढ़ाए और विकसित करे । 360-डिग्री फीडबैक प्रक्रिया के ज़रिए नेतृत्व विकास कार्यशालाएँ नेतृत्व विकास में सहयोग करेंगी ।

वैश्वीकरण, ग्राहकों की मांग, प्रौद्योगिकी नवाचार और सूचना पहुँच के कारण परिवर्तन की गति की मांग यह है कि कंपनी की पहुँच रणनीति, संरचना और प्रणालियों से आगे बढ़ते हुए उद्देश्य, प्रक्रिया और जन तक हो । मा.सं. कंपनी के परिवर्तन प्रबंधन की पहलों का समर्थन करेगा ताकि वह अपने योजना से आगे देख पाने में और स्वयं को वैश्विक दृष्टि के अनुरूप संरेखित करने में सक्षम बन सके ।

2.3.6 कर्मचारी संबंध एवं कल्याण

कंपनी औद्योगिक संबंध के युग से निकलकर कर्मचारी संबंध के युग में प्रवेश कर चुकी है । यह कर्मचारियों के सहयोग, सहभागिता और सामूहिक सौदेबाज़ी की स्वतंत्रता के अधिकार का सम्मान करती है । सभी स्तरों के कर्मचारियों को प्रबंधन से जुड़ने की स्वतंत्रता होगी और वे अपने मान्यताप्राप्त संगठनों के माध्यम से सामूहिक सौदेबाज़ी में भाग लेने के लिए स्वतंत्र होंगे । प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता एक सुनिर्धारित नीतिगत ढांचे द्वारा नियंत्रित होगी । इस नीति के अनुसार एवं सांविधिक अपेक्षाओं के अनुसार अथवा मान्यताप्राप्त यूनियनों के साथ हुई सहमति के अनुसार, संकर्म समितियाँ एवं शॉप फ्लोर समितियाँ गठित की जाएँगी । कंपनी में यथोचित शिकायत निवारण की व्यवस्था भी होगी । सभी स्तरों के कर्मचारियों की पहुँच इस शिकायत निवारण व्यवस्था तक होगी ।

सभी कर्मचारियों को सांविधिक प्रावधानों के अनुसार तथा सामूहिक सौदेबाज़ी के आधार पर यथा सहमत, समय पर वेतन, मजदूरी, भत्ते एवं अन्य अनुलाभ अदा किए जाएँगे ।

कंपनी कार्यस्थल का ऐसा माहौल प्रदान करेगी जो सुरक्षित, स्वच्छ, सुविधाजनक हो और जहाँ कर्मचारियों की गरिमा का समर्थन किया जाता है । यह विशिष्ट आवश्यकताओं वाले कर्मचारियों सहित, अपने सभी कर्मचारियों की खुशहाली के लिए सुविधाएँ प्रदान करेगी । कंपनी अपने कर्मचारियों के स्वास्थ्य, संरक्षा और खुशहाली के संबंध में सभी सांविधिक प्रावधानों का पालन करेगी । कर्मचारियों के स्वास्थ्य, संरक्षा, साफ-सफाई, सुविधा और खुशहाली सुनिश्चित करने के लिए श्रम कानून में समाविष्ट विशेष प्रावधानों का शब्दशः और भावत: पालन किया जाएगा ।

यह भर्ती के समय और नियोजन के क्रम के दौरान, जाति, संप्रदाय, लिंग, प्रजाति, धर्म, अक्षमता या लिंग भेद से संबंध न रखते हुए सभी को समान अवसर प्रदान करेगी और उसका अनुरक्षण करेगी । यह बाल श्रम, बलात् श्रम अथवा किसी भी प्रकार के अनैच्छिक श्रम, भुगतान आधार पर अथवा अन्यथा, का प्रयोग नहीं करेगी । यह उत्पीड़न-मुक्त कार्यस्थल जहाँ कर्मचारी अपने उत्तरदायित्वों का निर्वाह करने में अपने आप को संरक्षित एवं सुरक्षित महसूस करें, सुनिश्चित करने के लिए प्रणालियाँ तथा पद्धतियाँ स्थापित करेगी । इन पहलुओं से संबंधित सांविधिक प्रावधानों का पूरी तरह पालन किया जाएगा । अ.जा. / अ.ज.जा., विशिष्ट रूप से सक्षम व्यक्तियों जैसे वर्गों के लिए आरक्षण पर सरकारी दिशा-निर्देशों का पूरी तरह पालन किया जाएगा ।

2.4 पणधारकों के हितों की रक्षा

2.4.1 कंपनी अपने पणधारकों के समर्थन को महत्ता देती है और इस ओर उनके हितों और चिंताओं का आदर करती है । कंपनी और उसके कर्मचारी पणधारकों को मूल्य-आधारित सेवाएँ प्रदान करेंगे ।

2.4.2 कंपनी अपने विभिन्न पणधारकों की चिन्ताओं को समझने के लिए उनके साथ लगातार जुड़ी रहेगी, उनकी आवश्यकताओं का मूल्यांकन करेगी और उनकी ज़रूरतों को प्रभावी ढंग से पूरा करने का प्रयास करेगी ।

2.4.3 कंपनी अपनी नीतियों, निर्णयों, उत्पादों एवं सेवाओं तथा पणधारकों से जुड़े प्रचालनों के प्रभाव के प्रति जागरूक है और ऐसे कार्यों का निवारण करेगी जो पणधारकों के स्वास्थ्य, संरक्षा और कल्याण पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं ।

2.4.4 कंपनी समाज के ऐसे वर्गों से सक्रियतापूर्वक जुड़ेगी और प्रतिक्रिया करेगी जो असुविधा में हैं, कमज़ोर और हाशिए पर हैं । यह विकासशील क्षेत्रों में पणधारकों पर विशेष ध्यान भी देगी ।

2.4.5 कंपनी पणधारकों के साथ मतभेदों का समाधान सही, उचित और समान ढंग से करेगी ।

2.5 मानवाधिकारों को संवर्धन

2.5.1 कंपनी इस बात की सराहना करती है कि मानवाधिकार प्रकृति से जन्मजात, सार्वभौमिक, अविभाज्य और अंतर-निर्भर होते हैं । मूलभूत अधिकारों तथा भारतीय संविधान की राज्य नीति के दिशा-निर्देशक सिद्धांतों की भावना बीईएल की सभी नीतियों एवं प्रणालियों में डाली जाएगी । कंपनी मानवाधिकार कानून तथा अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार बिल के दिशा-निर्देशों का पालन करने का हरसंभव प्रयास करेगी ।

2.5.2 कंपनी प्रबंधन प्रणालियों में मानवाधिकारों के लिए सम्मान समन्वित करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि कारोबार से प्रभावित सभी व्यक्तियों की पहुँच शिकायत निवारण व्यवस्था तक हो ।

2.5.3 कंपनी समुदायों, उपभोक्ताओं तथा लाचार एवं हाशिये में रहने वाले समूहों सहित, कार्यस्थल के भीतर और बाहर के सभी संबंधित पणधारकों और समूहों के मानवाधिकारों को मान्यता प्रदान करेगी और उनका सम्मान करेगी ।

2.5.4 कंपनी अपने प्रभाव की परिधि के भीतर, अपनी पूरी मूल्य कड़ी में मानवाधिकारों की जागरूकता और वास्तविकता को संवर्धित करेगी ।

2.6 पर्यावरण का संरक्षण

2.6.1 कंपनी अपने विभिन्न कारोबारी प्रचालनों और कार्यकलापों के माध्यम से निर्वहनीय विकास के आर्थिक, पारिस्थितिक एवं सामाजिक उत्तरदायित्व संबंधी उद्देश्यों को हासिल करने के लिए कटिबद्ध है । पर्यावरणीय तौर पर जिम्मेदार कंपनी के रूप में, बीईएल प्राकृतिक संसाधनों तथा साथ ही मानव-निर्मित संसाधनों की उपयोगिता में इष्टतमीकरण एवं निरंतर कटौती की ओर सभी आवश्यक पहल करने के लिए स्वयं को कटिबद्ध मानती है । कंपनी निर्वहनीय विकास के लिए अपने सम्पूर्ण प्रचालनों / प्रक्रियाओं में कटौती करो, "पुन:प्रयोग करो और पुन:चक्रण करो" का लक्ष्य हासिल करने के लिए अपना ध्यान केन्द्रित करने हेतु संकल्पित है । कंपनी प्राकृतिक संसाधनों के अवक्षय का निवारण करने के लिए नवीकृत संसाधनों की ओर प्रयास करने के लिए कटिबद्ध है ।

2.6.2 कंपनी पर्यावरण संरक्षण, प्रबंधन और निर्वहनीय विकास से संबंधित सभी विधिक / विनियामक अपेक्षाओं का पालन करेगी । पर्यावरण प्रबंधन एवं निर्वहनीय विकास के कंपनी के कार्य-निष्पादन का मूल्यांकन करने के लिए कंपनी में नियमित निगरानी कार्यक्रम होगा ।

2.6.3 कंपनी हानिकारक प्रक्रियाओं को अभिचिह्नित करेगी, इसके जोखिम का मूल्यांकन करेगी और पर्यावरण पर इसके प्रभाव को न्यूनतम करने के लिए यथोचित नियंत्रण उपाय करेगी । प्रभाव न्यूनतमीकरण प्रक्रिया में विलोपन, प्रतिस्थापन, अभियांत्रिकी नियंत्रण विधियों को अनुरण किया जाएगा ।

2.6.4 किसी भी नई प्रक्रिया, प्रचालन या उत्पाद या सेवा का चयन करते समय या प्रारंभ करते समय पर्यावरण मैत्रीपूर्ण प्रक्रियाओं / प्रचालनों को उच्च प्राथमिकता दी जाएगी । पर्यावरण पर प्रभाव को न्यूनतम करने के लिए प्रभावी प्रक्रियाओं का विकल्प लिया जाएगा । कार्बन उत्सर्जन के कम पहल होने के लिए नई प्रणाली का चयन करने और उसे अपनाने हेतु ऊर्जा प्रभावशीलता को उच्च प्राथमिकता दी जाएगी ।

2.6.5 कंपनी पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव को न्यूनतम करने के लिए पर्यावरण प्रबंधन कार्यक्रमों की पहल करेगी । यह एक सतत् प्रक्रिया होगी । स्वच्छतर प्रौद्योगिकी का प्रारंभ, जोखिम को हटाना, विधिक अपेक्षाओं का पालन करना और संसाधनों का संरक्षण आदि कंपनी के पर्यावरण प्रबंधन कार्यक्रमों के ज़ोर देने वाले क्षेत्र होंगे ।

2.6.6 कंपनी के उत्पादों के प्रयोग के दौरान पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव को न्यूनतम करने के लिए पर्यावरण प्रबंधन में ग्राहकों की जागरूकता बढ़ाएगी । कंपनी अभिकल्प से निपटान तक, पर्यावरणीय मैत्रीपूर्ण प्रक्रियाओं को अपनाने के लिए अपने कारोबारी साझेदारों को समझाएगी और प्रोत्साहित करेगी ।

2.7. सार्वजनिक एवं विनियामक नीति

2.7.1 कार्पोरेट नागरिक के रूप में, कंपनी लोकतांत्रिक स्थापना एवं संविधानजन्य ढांचे के भीतर कार्य करने की अपनी जिम्मेदारी को समझती है । यह जानती है कि कारोबार सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट वैधानिक एवं नीतिगत ढांचे के भीतर प्रचालित होते हैं जो उनके विकास का मार्गदर्शन करते हैं और साथ ही कुछेक वांछित प्रतिबंध और सीमाएँ भी प्रदान करते हैं । कंपनी और उसके कर्मचारी विधिक / विनियामक ढांचे का सम्मान करते हैं और विद्यमान स्थानीय, राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कानून के लागू प्रावधानों का पालन करेंगे । वे कंपनी के कारोबार से संबंधित नीतियों, प्रक्रियाओं, नियमों तथा विनियमों का भी अनुसरण एवं आदर करेंगे ।

2.7.2 किसी वैधानिक/विनियामक अनिवार्यता के संबंध में कोई शिकायत होने पर, यह उसके निराकरण की मांग करेगी और कोड में समाविष्ट सिद्धांतों एवं नीतियों के अनुरूप नीतिगत पक्ष-समर्थन का आश्रय लेगी। जहाँ कहीं आवश्यक हो और संभव हो, कंपनी प्रशासनिक मंत्रालय जिसे वह रिपोर्ट करती है, के माध्यम से अथवा व्यापार एवं उद्योग चेम्बरों तथा ऐसे अन्य सामूहिक मंचों के माध्यम से नीतिगत परिवर्तन की अपेक्षा करेगी ।

2.7.3 कंपनी का विश्वास है कि नीतिगत पक्ष-समर्थन को सार्वजनिक हित का संरक्षण एवं विस्तारण करना चाहिए और इस प्रकार, यह केवल अपने लाभार्थ या समर्थन देने के ढंग से कुछेक को चुनते हुए किसी नीतिगत परिवर्तन का पक्ष-समर्थन कभी नहीं करेगी ।

2.8. सम्मिलित संवृद्धि एवं समान विकास

2.8.1 विक्रेता विकास -

क. जहाँ कहीं विक्रेता सक्षमताएँ निर्माणी कार्यों की अपेक्षाएँ पूरी करती हैं, विक्रेता विकास का कार्य किया जाएगा ।

ख. कारोबार, प्रौद्योगिकी और उत्पाद आदि के प्रकार के आधार पर विक्रेताओं के साथ दीर्घकालीन कारोबार के लिए नीति विकसित की जाएगी ।

ग. कंपनी सहायक औद्योगिक एस्टेट या अन्य सुविधाएँ, जहाँ कहीं व्यवहार्य हो तथा जहाँ कहीं प्रभावी उपयोगिता के लिए ग्राहकों में सक्षमताएँ विद्यमान हों, प्रदान करेगी ।

घ. ऐसे मामलों में जहाँ कंपनी की यूनिटें पर्यावरण-संवेदन क्षेत्रों में स्थित हैं, यथा आवश्यक प्रशिक्षण के साथ स्थानीय कौशल का नियोजन सुनिश्चित करने के लिए ध्यान दिया जाएगा ।

ङ. जहाँ कहीं कंपनी की बौद्धिक संपदा से समझौता नहीं किया गया है या वह दुर्बल नहीं हुई है, तो अनुसंधान एवं विकास संबंधी परियोजनाओं में बाह्यस्रोतण कार्य किया जाएगा ।

2.8.2 अनु. व वि. परियोजनाएँ -

क. देश के लोगों का विकास और खुशहाली बड़े पैमाने पर देश की आर्थिक स्थिति पर निर्भर करते हैं । अर्थव्यवस्था ऐसी प्रौद्योगिकियों से मज़बूत बनती है जो प्रभावी अभिशासन के साथ-साथ देश को सुरक्षा प्रदान करती हैं । वर्तमान में देश अपने जीडीपी का लगभग 1% अनु. व वि. पर निवेश कर रहा है । इस प्रकार, अनुसंधान एवं विकास देश के विकास के लिए एक शक्तिशाली हथियार है । इस प्रकार निवेश किए गए बहुमूल्य संसाधनों को यह सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से चैनलीकृत किया जाएगा कि अपेक्षित उद्देश्य प्राप्त कर लिए जाते हैं । इसलिए, अनु. व वि. राष्ट्रीय हित की परियोजनाओं में पूर्व सक्रिय रूप से अनु. व वि. के पहल किए जाएँगे ।

ख. डीआरडीओ, इसरो आदि जैसी राष्ट्रीय अनु. व वि. प्रयोगशालाओं को शामिल करते हुए परियोजनाओं में सहयोग को प्रमुखता दी जाएगी ताकि यह सुनिश्चित हो कि विदेशी स्रोतों पर निर्भरता को कम करने के लिए राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाएँ स्वदेशी रूप से विकसित की जाती हैं ।

ग. ली गई परियोजनाओं में यह सुनिश्चित किया जाएगा कि एक ओर जहाँ निर्धारित उद्देश्य प्राप्त किए जाते हैं, वहीं दूसरी ओर आरएफ उत्सर्जन / रिसाव, विकिरण, हानिकारक सामग्रियों के प्रयोग एवं निपटान आदि के परिप्रेक्ष्य में समाज की दृष्टि से नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेंगे ।

2.8.3 एमएसई से प्रापण - कंपनी भारत सरकार, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा अधिसूचित सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (एमएसई) के लिए सरकारी प्रापण नीति का पालन करेगी और उसमें निर्धारितानुसार, रक्षा उपक्रम के रूप में कंपनी पर लागू नीति की सीमा तक, एमएसई से प्रापण करने को प्राथमिकता देगी ।

2.9 ग्राहकों और उपभोक्ताओं को मूल्य

2.9.1 धन का मूल्य – प्रणालियाँ इस प्रकार व्यवस्थित की जाएँगी कि ग्राहक उत्पादों और सेवाओं का उपयोग करने में सक्षम हो और निम्न प्रकार से धन का सर्वोत्तम मूल्य प्राप्त करे -

i. ग्राहकों को सर्वश्रेष्ठ उत्पाद एवं सेवाएँ उपलब्ध कराना
ii. कंपनी के यथा-आवश्यक उत्पादों में और अन्य विक्रेताओं के उत्पादों, जो अपने वर्ग में सर्वश्रेष्ठ हो सकते हैं, के साथ उपयुक्त अंतरापृष्ठ / अंतर-प्रचालनीयता प्रदान करते हुए, अंतर-प्रचालनीयता सुनिश्चित करना
iii. उत्पादों के अभिकल्प में अंतर्राष्ट्रीय मानक सुनिश्चित करना
iv. जहाँ कहीं हानिकारक प्रभाव महसूस किए जा सकते हैं, वहाँ यथोचित लेबल सुनिश्चित करना, जैसे - उच्च वोल्टता, इलेक्ट्रो-स्थैतिक डिस्चार्ज, लेज़र उत्सर्जन आदि
v. यह सुनिश्चित करना कि सही प्रलेखीकरण उपयुक्त रूप से प्रदान इस प्रकार प्रदान किया जाता है कि उत्पादों और सेवाओं का उपयोग सर्वश्रेष्ठ ढंग से किया जाता है ।
vi. कार्य-निष्पादन वारंटी प्रदान करना और विक्रय पश्चात् तुरंत सेवा सुनिश्चित करना ।

2.9.2 ग्राहक संबंध प्रबंधन -

क. प्रभावी प्रणालियाँ इनके लिए प्रदान की जाएँगी -

i. ऑनलाइन पंजीकरण सहित, ग्राहकों की शिकायतों का पंजीकरण ।
ii. ग्राहकों की शिकायतों का समय पर निवारण ।
iii. ऑन-लाइन ट्रैकिंग सहित उपलब्ध शिकायतों की स्थिति का ज्ञान ।
iv. विश्लेषण के ब्यौरे के साथ ग्राहकों की सभी शिकायतों की स्थिति पर सर्वोच्च प्रबंधन / संबंधित प्राधिकारियों को आवधिक रिपोर्टिंग ।
v. शिकायतों पर ग्राहकों की प्रतिक्रिया प्राप्त करना ।

ख. ग्राहक तुष्टिकरण का मूल्यांकन करने के लिए आवधिक रूप से ग्राहक तुष्टिकरण सर्वेक्षण किया जाएगा ।

2.9.2 अप्रचलन प्रबंधन -

क. कंपनी द्वारा अपने ग्राहकों को आपूरित उत्पादों में अप्रचलन प्रबंधन के लिए प्रणालियाँ प्रदान की जाएँगी ।

ख. अभिकल्प अवस्था में ही अप्रचलन प्रबंधन का ध्यान रखा जाएगा और सम्पूर्ण उत्पाद जीवन चक्र को व्याप्त करते हुए जारी रखा जाएगा ।